पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास के लिए योजना

गृह मंत्रालय उन गुमराह युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए दिनांक 01.01.1998 से पूर्वोत्तर में आत्म समर्पण-सह-पुनर्वास के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जो भ्रमित होकर विद्रोह के जाल में चले गए थे और बाद में उस जाल में फंस गए। योजना यह भी सुनिश्चित करती है कि जिन विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है वे फिर से विद्रोह में शामिल न हों। इस योजना को पूर्वोत्तगर के छह राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोडकर) के लिए दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया है। नीति के तहत, आत्मकसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे: -

(i) आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रु. का तत्काल अनुदान, जिसे आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति के नाम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक में सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा। इस राशि का उपयोग आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति द्वारा स्व रोजगार के लिए बैंक से लिए गए ऋण के एवज में कोलेट्रल सिक्युरिटी/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है;

(ii) आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तीन वर्ष की अवधि के लिए 6,000/- रु. की प्रति माह स्टाइपेंड का भुगतान;

(iii) विद्रोहियों द्वारा सरेंडर किए गए हथियारों/गोला बारूद के लिए प्रोत्साहन।

(iv) आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों को स्वारोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(v) पुनर्वास कैंपों के निर्माण के लिए निधि।

(vi) आत्म्समर्पण करने वाले व्य क्तियों के पुनर्वास पर होने वाले कुल व्यय के 90% की प्रतिपूर्ति एसआरई योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को की जाएगी।

भारत सरकार की इस नीति के अनुसरण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न उग्रवादी समूहों के कई ग्रुपों ने आत्मसमर्पण किया है और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं।

*****